

# New Pension Scheme

अंशदायी पेंशन योजना 13अक्टूबर 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में आये समस्त कार्मिकों के लिये लागू पेंशन योजना है ।

इस योजना का संचालन PFRDA द्वारा किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत दो प्रकार के खाते संचालित होते हैं।

Tier-1 ( Long term pension Account )

Tier-2 ( Short term investment Account )

(Tier 1 Account / PRAN A/C)

कितना अंशदान काटा जाता है।

$(\text{Pay Band} + \text{Grade Pay} + \text{D.A.}) * 10\% = \text{employee's share}$

राज्य सरकार द्वारा जमा किया जाने वाला अंश—

$(\text{Band Pay} + \text{Grade Pay} + \text{D.A.}) * 10\% = \text{Govt. Share}$

अंशदान कब प्रारम्भ होगा—

नवनियुक्त कार्मिक को P.R.A.N. आबंटित होने के बाद ।

## PRAN आबंटित कराने की प्रक्रिया

सर्वप्रथम कार्मिक द्वारा PRAN Form जिसे फार्म CSRF1  
( Common Subscriber Registration Form 1 )  
भी कहा जाता है, पूर्णरूप से भरकर अपने D D O के  
माध्यम से कोषागार में जमा कराना होगा।

कोषागार स्तर से इन फार्मों को सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों में भेजकर प्रान नम्बर आवंटित कराया जायेगा।

SNO	POP-SP City	CRA-FC ID	CRA FC Address
1.	Dehradun	51020	Alankit Assignments Ltd 11, First Floor 6, Cross Road, Dehradun, Uttarakhand 248001 Tel - 01352656312
2.	Dehradun	52041	Karvy Data Management Services Ltd 48/49 Patel Market, Opp Punjab Jewell, Near Gandhi Park, Dehradun Uttarakhand 248001 Tel - 01352714046
1.	Haldwani	51055	Alankit Assignments Ltd 2/594-I, Jhurmut, Polysheet Nainital Road, Haldwani, Uttarakhand - 263126 Tel - 05946- 283200
2.	Haldwani	52054	Karvy Data Management Services Ltd Durga City Center, Near Mbpq College, Naiinital Road, Haldwani, Uttarakhand - 263139 Tel - 05946- 285606

नम्बर आबंटित होने पर सम्बन्धित कार्मिक को PRAN  
KIA उपलब्ध करा दी जायेगी।

**PRAN KIT-**

इसमें सब्सक्राइबर को निम्न सामग्री  
उपलब्ध कराई जायेगी

Pran Card

Subscriber Master Detail

I-PIN- Internet Personal Identification Number

T-PIN- Telequery Personal Identification Number

Subscriber Brochure

इस योजना के रखरखाव का काम N.S.D.L. (national securities depository limited) को दिया गया है। यही एजेंसी PRAN आबंटित करती है।

प्रतिमाह प्राप्त धनराशि को फंड मैनेजर द्वारा बाजार में निवेश किया जाता है।

1 SBI

2 LIC

3 UTI

C.R.A.

Central Record Keeping Agency

# Tier 2 Account

वर्तमान में **NSDL** द्वारा निर्धारित फैसेलिटेशन सेंटर में किसी भी कार्मिक द्वारा टियर-2 खाता खोला जा सकता है।

इस खाते को खोलने पर कार्मिक एवं **NSDL** के मध्य करार होगा एवं नियोक्ता का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

## टीयर-1 A/C से भुगतान कब एवं कितना?

- **Retirement** के समय— **60: नकद**

40:से किसी बीमा कम्पनी से वार्षिकी का क़य करना होगा।

- कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व ही पेंशन टीयर-1 खाते को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80: होगा तथा 20: नकद मिलेगा।

क्या पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा ?

इन्कम टैक्स में क्या लाभ मिलेगा ?

उपरोक्त फार्म एवं प्रारूप सी०आर०ए० की वेबसाइट  
[www.npscra.nsdli.co.in/downloads/forms/Autonomous  
bodies](http://www.npscra.nsdli.co.in/downloads/forms/Autonomous_bodies) पर उपलब्ध है, जिनको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

धन्यवाद

